पास जब्तशुदा हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने और विभागीय उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता होने के कारण सामान्यतया प्रत्येक आबंटती को केवल एक हथियार ही बेचा जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग की दुकान (कस्टम शाप) के अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए बहुत कम सामान दिखाया जाना

967. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि जब कोई संसद सदस्य सीमा शुल्क विभाग की दुकान पर सामान खरीदने के लिये जाता है तो वहां के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें बहुत ही कम सामान दिखाते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर "ना" में हो तो क्या इस मामले की कोई जांच किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते लोगों को बहुत ही कम मूल्य पर बहुत सी अच्छी--अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं ; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान की कुल बिक्री कितनी रही है और बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके मूल्य क्या हैं और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होंने इन वस्तुओं को खरीदा है तथा सामान का मूल्यांकन करने वाले प्रधिकारी का नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओं की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी सोसायटियों और राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी संघों को की जाती हैं जो उसे आगे सहकारी सोसायटियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों, आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सप्लाई करते हैं । इस प्रकार की वस्तुओं को सेना/पुलिस/पैरा मिलिटिरी कैन्टीनों को बेचने के लिए भी भेजा जाता हैं । इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की अल्प मात्रा में वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमाशुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से "जो पहले आवे सौ पहले पावे" सिद्धान्त के आधार पर भी बेचा जाता हैं । खुदरा दुकान पर जो कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उन्हें प्रदर्शित कर दिया जाता हैं और महत्वपूर्ण मदों का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाता है और आम जनता तथा संसद सदस्य, इसे खरीद सकते हैं ।

(ग) जब्तशुदा उपभोक्ता वस्तुओं को खुदरा दुकानों के जरिए बम्बई कस्टम हाउस की संयुक्त मल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मल्यों पर बेचा जाता हैं और जहां इस प्रकार के निर्धारित मूल्य नहीं होते हैं, वहां माल को किसी ऐसी स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए मूल्यों पर बेचा जाता है जिसमें सदस्य के रूप में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं । खुदरा काउंटरों पर बिक्री करने वाले अधिकारी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नही करते हैं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Seizure of Narcotics and Other Goods

968. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what are the details of narcotic drugs and other goods seized by the customs authorities during 1989 and 1990 so far indicating the quantity and estimated value thereof particularly in Rajasthan sector on Indo-Pak border;

(b) what checks Government are exercising to see that drugs like heroin etc. are completely destroyed by customs or concerned authorities; arid